सत्यमेव जयते

मध्य प्रदेश शासन के शहरी स्थानीय निकायों

एवं

पंचायती राज संस्थाओं पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तकनीकी

मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार

(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश ग्वालियर

सत्यमेव जयते

मध्य प्रदेश शासन के शहरी स्थानीय निकायों

एवं

पंचायती राज संस्थाओं पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तकनीकी

मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार

(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश ग्वालियर

विषय सूची

	संदर्भ हेतु	
	कंडिका क्रं.	पेज संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vi to viii
भाग - प्रथम - शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय - प्रथम शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
प्रशासनिक व्यवस्था	1.2	1
लेखा व्यवस्था	1.3	2
लेखा परीक्षा की व्यवस्था	1.4	2
राजस्व के स्त्रोत	1.5	3
प्राप्तियां और व्यय	1.6	3
बकाया ऋण की स्थिति	1.7	4
लेखापरीक्षा में लंबित कंडिकायें	1.8	5
बैंक समाधान विवरण तैयार न करना	1.9	5
कर्मचारियों से अग्रिमों की वसूली न होना	1.10	6
निधियों का व्यपर्तन	1.11	6
करों की वसूली न होना	1.12	6
भविष्य निधि खातों में अंशदान राशि जमा न करना	1.13	7
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संचित निधि का सृजन न करना	1.14	7
दुकानों के किराये और प्रीमियम की वसूली न करना	1.15	7
निष्कर्ष	1.16	7
बारहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान और उसके उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.17	8
अध्याय - द्वितीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
नगर निगमों द्वारा शहरी विकास उपकर की राशि ₹ 16.78 करोड़ शासकीय खाते में जमा न करना	2.1	12
दुकानों के निर्माण पर ₹ 1.17 करोड़ अवरूद्ध रहना	2.2	12
कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भूखण्डों के आवंटन करने के परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि ₹ 78.10 लाख	2.3	13

हुडकों के ऋण पर प्रक्रिया शुल्क एवं ब्याज की हानि ₹ 26.68 लाख	2.4	14
दुकानों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय राशि ₹ 59.10 लाख	2.5	15

भाग - द्वितीय - पंचायती राज संस्थायें		
अध्याय - प्रथम पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	17
क्षेत्रफल और जनसंख्या	1.2	17
प्रशासनिक व्यवस्था	1.3	17
लेखा व्यवस्था	1.4	18
लेखा परीक्षा की व्यवस्था	1.5	18
आडिट प्लान का अनुमोदन	1.6	19
राज्य विधान मंडल समिति का गठन	1.7	19
राजस्व के स्त्रोत	1.8	19
पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति एवं व्यय	1.9	19
लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं की स्थिति	1.10	21
बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययीत शेष राशि वापस नहीं किया जाना	1.11	21
कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास बकाया अग्रिम	1.12	22
बैंक समाशोधन विवरण तैयार न करना	1.13	22
निष्कर्ष	1.14	22
बारहवें वित्त आयोग की अनुदान की राशि जो पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई के उपयोग पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष	1.15	23
अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं	1.16	25

	परिशिष्ट	
		पेज संख्या
परिशिष्ट – I	प्राप्ति एवं व्यय का विवरण	26
परिशिष्ट – II	बैंक समाधान पत्रक तैयार न करना	27
परिशिष्ट – III	कर्मचारियों से अग्रिमों की वसूली न करना	28
परिशिष्ट – IV	निधियों का व्यपर्तन	29
परिशिष्ट – V	करों की वसूली न होना	30
परिशिष्ट – VI	संचित निधि का सृजन न करना	31
परिशिष्ट – VII	दुकानों के किराये और प्रीमियम की वसूली न करना	32
परिशिष्ट – VIII	अव्ययित अनुदान	33
परिशिष्ट –IX	अव्ययित अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र	35
परिशिष्ट –X	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में प्रगति न होना	36
परिशिष्ट –XI	नगर निगम द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि शासकीय खाते में जमा न करना	37
परिशिष्ट –XII	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर प्लाटों का आवंटन	38
परिशिष्ट –XIII	बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष वापस न करना	40
परिशिष्ट –XIV	कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास बकाया अग्रिम	41
परिशिष्ट –XV	बैंक समाधान पत्रक तैयार न करना	42
परिशिष्ट –XVI	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अपूर्ण कार्य	43
परिशिष्ट –XVII	इंदिरा आवास योजना के तहत पुरूष हितग्राहियों को अनियमित आवंटन	44

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर तकनीकी मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है ।

2. यह प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया। भाग - प्रथम में शहरी स्थानीय निकायों पर एवं भाग - द्वितीय में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियाँ की गई है ।

3. दोनों भागों के अध्याय प्रथम में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज एवं लेखा प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त परिचय है ।

4. प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वर्ष 2008-09 एवं पूर्व वर्षो की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेनदेनों एवं लेखा प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है लेकिन विगत प्रतिवेदनों में ये मामले सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे प्रकरण भी जो वर्ष 2008-09 के बाद के है आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किए गए है ।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं । भाग प्रथम में शहरी स्थानीय निकायों पर एवं भाग द्वितीय पंचायती राज संस्थाओं पर है । भाग प्रथम में दो अध्याय है, प्रथम अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन तथा द्वितीय अध्याय में लेनदेनों की लेखापरीक्षा वर्णित है । भाग द्वितीय में केवल प्रथम अध्याय है जो पंचायती राज संस्थाओ के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन है ।

अध्याय - प्रथम

शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

लेखांकन के प्रोद्‌भवन प्रणाली अप्रैल 2008 से लागू की गयी थी जिसे राज्य की 14 नगर निगमों में लागू किया और शेष बची नगर पालिकों एवं नगर पंचायतों में लागू करना है ।

(अनुच्छेद 1.3.1.)

गठित कार्यबल द्वारा सुझाये गये बजट एवं लेखा प्रारूपों के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन करना था । जो मार्च 2010 तक गठित नहीं की गई थी ।

(अनुच्छेद 1.3.2.)

मॉडल नगर पालिका कानून को अंगीकार करने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा मॉडल नगर पालिका कानून की धारा 93 से 96 में जो परिवर्तन सुझायें गए थे को शहरी स्थानीय निकायों के अधिनियम में अंगीकर नहीं किया गया है ।

(अनुच्छेद 1.3.3)

रोकड़ वही और बैंक खातों के अन्तर की राशि ₹ 2.65 करोड़ का समाधान नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 1.9)

13 नगर निगमों / नगर पालिका/ नगर पंचायतों में कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम राशि ₹ 22.08 लाख की वसूली न होना ।

(अनुच्छेद 1.10)

4 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राशि ₹ 24.98 लाख का अनियमित व्यपर्तन ।

(अनुच्छेद 1.11)

18 नगर निगम / नगर पालिका/ नगर पंचायत द्वारा करों की वसूली ₹ 7.71 करोड़ न करना ।

(अनुच्छेद 1.12)

13 नगर पालिका / नगर पंचायतों द्वारा दुकानों के प्रीमियम (राशि ₹ 0.68 करोड़) और किराये (राशि ₹ 0.52 करोड़) की वसूली न करना ।

(अनुच्छेद 1.15)

12 वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आवंटित अनुदान राशि विलम्ब से जारी करने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को ब्याज राशि का भुगतान न करना ।

(अनुच्छेद 1.17.1)

अध्याय - द्वितीय
लेनदेनों की लेखापरीक्षा

नगर निगमों द्वारा शहरी विकास उपकर की राशि शासकीय खाते में जमा न करना

(अनुच्छेद 2.1)

दुकानों के निर्माण पर ₹ 1.17 करोड़ अवरूद्ध रहना

(अनुच्छेद 2.2)

कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भूखण्डों के आवंटन करने के परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि ₹ 78.10 लाख

(अनुच्छेद 2.3)

हुडकों के ऋण पर प्रक्रिया शुल्क एवं ब्याज की हानि ₹ 26.68 लाख ।

अनुच्छेद 2.4)

दुकानों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय राशि ₹ 59.10 लाख ।

(अनुच्छेद 2.5)

भाग - द्वितीय

अध्याय - एक

पंचायती राज संस्थायें

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ संबंधित विभागों को वापस न करने से ग्रामीण योजनाओं के लाभ से बंचित रहे ।

(अनुच्छेद 1.11)

अनुदान राशि के विलंब से हस्तांतरण पर ब्याज का भुगतान नहीं ।

(अनुच्छेद 1.15.1)

77 ग्राम पंचायतों द्वारा जल आपूर्ति से संबंधित उपभोक्ता प्रभार राशि ₹ 0.39 करोड़ वसूली लंबित रहना ।

(अनुच्छेद 1.15.3)

11 जनपदों में 750 कार्य जो विभिन्न योजनाओं से संबंधित थे वर्ष 2001-02 से अपूर्ण।

(अनुच्छेद 1.16.1)

14 जनपदों में ₹ 10.50 करोड़ की लागत के 5249 आवासों का अनियमित आवंटन ।

(अनुच्छेद 1.16.2)

भाग - प्रथम
शहरी स्थानीय निकाय
(अध्याय - प्रथम एवं द्वितीय)

प्रथम - अध्याय

शहरी स्थानीयों निकायों के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

अध्याय प्रथम - शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय - 1

शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

परिचयः- 1.1

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (डब्लू) में परिकल्पित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय निकायों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वयंभू सरकार संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसी विधियों में हैं जो नगरीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तान्तरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते है ।

74 वें संविधान संशोधन के पश्चात नगरीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वयं भू सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवन्त संस्थान बनाया गया । तद्नुसार राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर निगमों, छोटे शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिये नगर पंचायतों में पुनर्गठित (1993) किया है ।

वर्तमान में 14 नगर निगम, 96 नगर पालिका परिषद एवं 250 नगर पंचायत हैं। नगरीय निकायों में विगत चुनाव वर्ष 2005-06 में आयोजित हुये है । उपरोक्त दर्शाये गए सभी 360 नगरीय निकायों में 1.52 करोड़ यानी राज्य की कुल आबादी का 25 प्रतिशत शहरी आबादी निवासरत थी ।

1.2 प्रशासनिक व्यवस्था

सभी नगरीय निकाय राज्य के अधिकार क्षेत्र में निहित अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत सोंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिये निश्चित वैधानिक शक्ति हैं । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संगठनात्मक संचरना निम्नानुसार है ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना

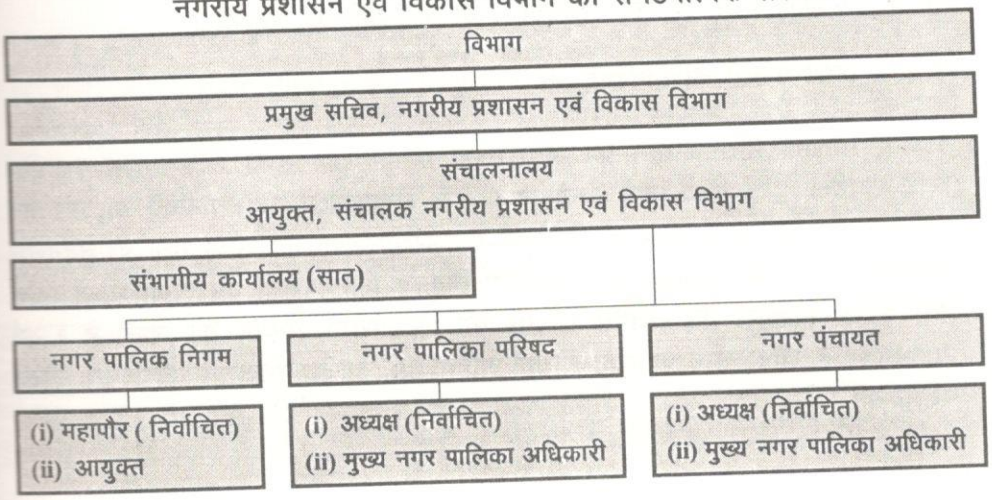

1.3 लेखा व्यवस्था

1.3.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा गठित कार्यबल (**Task Force**) जिसने अन्य बातों के साथ शहरी नगरीय निकायों (**ULBs**) द्वारा प्रोभ्दवन आधारित लेखाओं के ग्रहण करने की सिफारिश की थी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (**UADD**) द्वारा निर्धारित बजट और लेखा प्रारूपों के अपनाने के परिणाम स्वरूप जुलाई 2007 में मध्य प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन लेखा मैनुअल (**MPMAM**) प्रकाशित किया गया । हालांकि **UADD** (जुलाई) के आदेशानुसार लेंखाकन की प्रोभ्दय व्यवस्था केवल 14 नगर निगमों में अप्रैल 2008 से लागू थी । शेष शहरी नगरीय निकायों (**ULBs**) में यह व्यवस्था लागू किया जाना है ।

1.3.2 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2003 में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में लिये निर्णय के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा गठित कार्यबल द्वारा सुझाये गये बजट एवं लेखा प्रारूपों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिये सभी राज्यों में एक संचालन समिति (**Steering Committee**) गठित करनी थी । नियमित पत्राचार के बाद भी राज्य में मार्च 2010 तक उक्त समिति गठित नहीं की गई ।

1.3.3 भारत सरकार ने मॉडल नगर पालिका कानून (**MML**) की धारा 93 से 96 तक सी.ए.जी. के सुझाव सहित राज्य शासन द्वारा अंगीकार करने के लिए सितम्बर 2004 में अग्रेषित किये गये । प्रधान महालेखाकार मध्य प्रदेश के साथ नवम्बर 2008 में सम्पन्न हुई बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है और तदनुसार मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा को आश्वस्त किया गया । माह सितम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 में प्रमुख सचिव (वित्त विभाग) को अनुस्मारक जारी किये गये लेकिन जबाव अभी तक प्राप्त नहीं हुए ।

1.3.4 शहरी नगरीय निकायों द्वारा वित्त पर डाटाबेस

सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों में डेटा एकत्रित कर संकलित एवं संधारित किये जाना है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (**UADD**) द्वारा जून 2004 में डाटावेस के प्रारूप अपनाने की सैद्वांतिक स्वीकृति दी गई। अनुपालन में सितम्बर 2009 में यह बताया गया कि नगर निगमों में मानक प्रारूपों में वित्त पर डाटावेस संधारित किये जा रहे हैं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी कार्यवाही की जायेगी ।

1.4 लेखा परीक्षा की व्यवस्था

1.4.1 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये जाने किये जाने वाले लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइडेंस एवं पर्यवेक्षण (**TGS**) कार्य भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। तदनुसार कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा) मध्य प्रदेश द्वारा **TGS** मोड्यूल के अन्तर्गत **ULBs** की लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है । वर्ष 2008-09 में तीन नगर पालिका निगम सहित 88 नगरीय निकायों की नमूना लेखा परीक्षा की गई ।

1.4.2 आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा के लेखापरीक्षा प्लान का अनुमोदन

तकनीकी गाइडेंस एवं पर्यवेक्षण के भाग के रूप में आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के परामर्श से लेखा परीक्षा का वार्षिक प्लान बनाना चाहिये । जबकि इस सम्बन्ध में प्रधान महालेखाकार द्वारा पत्र के माध्यम शासन को निवेदन (फरवरी एवं नवम्बर 2008) करने के बावजूद भी राज्य के आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वर्ष 2008-09 का आडिट प्लान प्रधान महालेखाकार से अनुमोदित नहीं कराया गया । आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा ने वर्ष 2009-10 में लेखा संपरीक्षा हेतु आडिट के लिये प्रस्तावित इकाइयों की एक सूची प्रधान महालेखाकार की अनुशंसा के बगैर ही उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय) लेखापरीक्षा एवं लेखा को सौंपा थी ।

1.4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

राज्य के प्रथम वित्त आयोग (**SFC**) की अनुशंसाओं (जुलाई 1996) के पैरा 7.2 के अनुसार एवं वित्त विभाग के निर्णय के अनुसार **ULBs** की जबाव देही सुनिश्चित करने के लिये एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करनी थी । इसी तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन लेखा मैनुअल (**MPMAM**) के पैरा 2.2.1 में भी आन्तरिक लेखापरीक्ष विभाग के सृजन के लिये प्रावधान का उल्लेख किया गया है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (**UADD**) निर्देशालय म.प्र. ने (सितम्बर 2009) बताया कि 50 नगरीय निकायों में पूर्व लेखा परीक्षा की व्यवस्था है इसके अलावा अन्य **ULBs** में आन्तरिक लेखापरीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

1.5 राजस्व के स्त्रोत

स्थानीय निकायों की आय के दो प्रमुख स्त्रोत थे (**i**) शासकीय अनुदान और (**ii**) स्वयं का राजस्व । शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की राजस्व में खुद की कर राजस्व और गैर कर राजस्व जो उनके द्वारा संग्रहीत की हों सम्मिलित हैं । शासकीय अनुदानों में राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोष तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन एवं भारत सरकार का अंशदान सम्मिलित हैं । शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिये ऋण भी प्राप्त करते हैं ।

1.6 प्राप्तियां और व्यय

1.6.1 भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश तथा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप अनुदान सहित बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा **ULBs** के लिये आवंटित निधि (राज्य का कर राजस्व में से हिस्सा, योजना निधि और अनुदान) निम्नानुसार था:-

[illegible]	अनुदान						वास्तविक व्यय			आधिक्य (+) / बचत (-)
	वर्ष	टैक्स का अंश	योजना निधि	अनुदान	संचालनालय के वेतन और भत्ते	योग	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	योग	
[illegible]	2005-06	899.38	142.32	222.45	2.72	1266.87	1158.12	19.45	1177.57	(-) 89.30
[illegible]	2006-07	1047.30	304.45	531.93	8.22	1891.90	1614.57	28.81	1643.38	(-) 248.52
[illegible]	2007-08	1300.39	395.02	635.04	2.93	2333.38	1695.40	305.55	2000.95	(-) 332.43
[illegible]	2008-09	1531.07	502.07	563.14	22.34	2618.62	2112.90	205.43	2318.33	(-) 300.29

उपरोक्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि स्थानीय नगरीय निकाय क्षेत्र में वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2008-09 में बजट प्रावधानों में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित राशि का व्यय नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 से 2008-09 तक बचत रही । स्थानीय नगरीय निकायों की स्वयं के स्त्रोतों से एवं ऋण से प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशालय में प्राप्त नहीं था । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने (सितम्बर 2009) कहा कि उपरोक्त आंकड़े एकत्रित किये जाकर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जायेंगे । हालांकि नमूना जांच किये गये नगरीय निकायों (भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच और रतलाम) में राज्य और केन्द्रीय अनुदान क़ी स्थिति, अपनी राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व एवं पूंजीगत शीर्ष में व्यय का वर्गीकरण **परिशिष्ट - I** में वर्णित किया गया है ।

1.6.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

निदेशालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र (दिसम्बर 2004) में उल्लेख है कि विगत वर्ष में वितरित अनुदान राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पहले अनुदान जारी नहीं करना चाहिये । निदेशालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संधारित द्वितीय वित्त आयोग निधि के जारी होने सम्बन्धी अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच (सितम्बर 2009) पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008-09 के लिये जारी **SFC Grant** के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर ही सितम्बर 2009 में आगामी अनुदान जारी कर दी गई । लेखापरीक्षा में इंगित करने पर आयुक्त **UADD** ने (सितम्बर 2009) कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

1.7 बकाया ऋण की स्थिति

निदेशालय **UADD** के पास सभी ULBs ~~**UADD**~~ के बकाया ऋणों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी । नगर निगम भोपाल, ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम के अभिलेखों की जाँच में (सितम्बर 2009) ज्ञात हुआ कि उनमें बकाया ऋणों के खिलाफ ₹ 47.20 करोड़ के ऋण (सितम्बर-नवम्बर 2008) चुकता करने हेतु बकाया थे । नमूना लेखापरीक्षा में जिलेवार में बकाया ऋण एवं मूलधन राशि और ब्याज की स्थिति निम्नानुसार थीः-

(₹ लाख में)

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	शेष (दि. 1.4.08 की स्थिति)	वर्ष 08-09 में नवीन ऋण	वर्ष 2008-09 में ऋण की चुकौती		मूल बकाया ऋण (दि. 31 मार्च 09 की स्थिति)
				मूल	ब्याज	
1.	भोपाल	3509.90	--	1355.74	372.22	2154.16
2.	रतलाम	1120.00	--	--	--	1120.00
3.	मंदसौर	--	--	--	--	--
4.	नीमच	--	--	--	--	--
5.	ग्वालियर	545.66	900	--	34.93	1445.66
		5175.56	**900**	**1355.74**	**407.15**	**4719.82**

1.8 लेखापरीक्षा में लंबित कंडिकाओं की स्थिति

नगरीय निकायों में आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा की संपरीक्षा प्रतिवेदन और महालेखाकार की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

(अ) आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा की बकाया आडिट कंडिआयें-

(31 मार्च 2009 की स्थिति)

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्थानीय नगरीय निकाय			
		लेखा संपरीक्षा की कुल बकाया कंडिकायें	जोड़	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	शेष कंडिकाओं की संख्या
1.	2006-07	2508	601	0	3109
2.	2007-08	3109	514	0	3623
3.	2008-09	3623	778	61	4340

(ब) महालेखाकार की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की बकाया कंडिकायें-

(31 मार्च 2009 की स्थिति)

क्र. संख्या	वित्तीय वर्ष	स्थानीय नगरीय निकाय			
		लेखापरीक्षा की कुल बकाया कंडिकायें	जोड़	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	शेष कंडिकाओं की संख्या
1.	2006-07	2508	601	0	3109
2.	2007-08	3109	514	0	3623
3.	2008-09	3623	778	61	4340

इन लंबित कंडिकाओं के शीघ्र निराकरण हेतु **DLFA** द्वारा सक्रिय अनुसरण की आवश्यकता है ।

1.9 बैंक समाधान पत्रक तैयार न करना

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97-98 में प्रावधान है कि रोकड़ बही शेष एवं बैंक खातों के शेष की अन्तर की राशि का प्रत्येक माह समाधान करना चाहिये । जबकि यह ज्ञात हुआ कि 9 शहरी स्थानीय निकायों[1] के रोकड़ वही और बैंक पत्रकों में वर्ष के अन्त म (वर्ष 2001 से 2009) ₹ 2.65 करोड़ के रोकड़ शेष के अंतर का समाधान नहीं किया गया था । रोकड़ शेष के अन्तर का समाधान न होने की स्थिति में अस्थाई दुर्विनियोजन अथवा खर्च की फर्जी बुकिंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । रोकड़ शेष का बैंक स्टेटमेंट से समाधान की अनुपस्थिति में स्थानीय निकायों की रोकड़ वही शेष की प्रमाणिकता संदिग्ध थी । अंतर की स्थिति **परिशिष्ठ - II** में दी गई है ।

[1] (1) नगर पालिका बारासिवनी (2) नगर पालिका गाडरवाड़ा (3) नगर पालिका मंडला (4) नगर पालिका गंजवासौदा (5) नगर पालिका गोहद (6) नगर पंचायत राहतगढ़ (7) नगर पंचायत गोतमपुरा (8) नगर पंचायत राजगढ़ (9) नगर पंचायत जतारानगर

1.10 कर्मचारियों से अग्रिमों की वसूली न होना

अस्थाई अग्रिम कर्मचारियों को छोटे-मोटे भुगतान करने के लिये दिये जाते हैं । मध्य प्रदेश वित्त विभाग के आदेश (2001) में प्रावधान है कि अस्थाई अग्रिमों का समायोजन अथवा वसूली जल्द से जल्द लेकिन किसी भी प्रकरण में अग्रिम के भुगतान के तीन माह से पहले अथवा वित्तीय वर्ष (मार्च) के पहले कर लेना चाहिये । राशि के असमायोजित रहने / वसूली न होने की स्थिति में बैंकों द्वारा सावधि जमा पर देय ब्याज की दर से दण्डात्मक ब्याज भी वसूल किया जायेगा । 13 नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा पर ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों / अधिकारियों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दिये गये अग्रिम भुगतानों में से **परिशिष्ठ - III** में दर्शाये अनुसार विगत एक से 5 वर्षों तक ₹ 22.08 लाख अव तक वसूली / समायोजन हेतु बकाया थे । पुराने बकाया अग्रिमों के समायोजन / वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही के अभाव में समय गुजरने के साथ अस्थाई अग्रिम की राशि का नुकसान हो सकता है ।

1.11 निधियों का व्यपर्तन

केन्द्र सरकार / राज्य शासन ने अनुदान के रूप में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये निधियों का जो अनन्य रूप से उन्हीं परियोजनाओं पर जिनके लिये स्वीकृत की गई थी व्यय करने हेतु निर्गमन किया । केन्द्र / राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बगैर निधियों का एक योजना से दूसरी योजना में व्यपर्तन अनुज्ञेय नहीं था ।

अभिलेखों की जाँच से खुलासा हुआ कि वर्ष 2001-07 की अवधि में 4 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 24.98 लाख उस निमित्त जो योजना के अन्तर्गत नहीं था नगरीय निकायों की नियमित कार्यक्रमों पर जैसा कि **परिशिष्ठ - IV** में दर्शाया गया है हेतु अनियमित व्यपवर्तित किये गये ।

1.12 करों की वसूली न होना

शहरी स्थानीय निकाय (शहरी स्थानीय निकाय) द्वारा कर, किराया, फीस, लायसैंस जारी करना आदि कार्यो के लिए स्वयं के स्त्रोतों हेतु राजस्व प्राप्त करते हैं । 18 नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायतों की नमूना जाँच अनुसार जैसा कि परिशिष्ठ - **V** में वर्णित है करदाताओं से वसूली हेतु मार्च 2009 की स्थिति में ₹ 7.71 करोड़ रूपये वसूल हेतु लंबित थे, जबकि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय को शक्तियां हैं कि दोषियों को किसी चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली आदेश प्राप्त करने हेतु मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाये उक्त नगरीय निकाय बकाया करों की वसूली करने में असफल रहे ।

अपनी शक्तियों के आह्वान में असफल रहने के परिणामतः नगरीय निकाय बकाया करों की वसूली नहीं कर सके और संसाधनों की कमी की बजह से विकास कार्यो में रूकावट हुई ।

1.13 भविष्य निधि खातों में अंशदान राशि जमा न करना

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 102 (4) में प्रावधान है कि भविष्य निधि अंशदान के कटौत्रे पी.एफ. लेखों में जमा किये जायेंगे । मध्य प्रदेश शासन, स्थानीय निकाय विभाग ने निर्देशित किया (फरवरी 1998) कि सभी आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भविष्य निधि अंशदान कर्मचारियों के निधि खाते में जमा करना आवश्यक है । लेकिन यह देखा गया कि नगर पंचायत राहतगढ़ (जिला - सागर) ने 10/1996-2005 की अवधि में भविष्य निधि अंशदान ₹ 10.61 लाख कर्मचारियों के निधि खाते में जमा नहीं किया जिसके परिणामतः भविष्य निधि खाते पर ब्याज का तो नुकसान हुआ ही बल्कि नगरीय निकाय पर अतिरिक्त भार पड़ा ।

1.14 शहरी स्थानीय निकायों में द्वारा संचित निधि का सृजन न करना

मध्य प्रदेश नगर पालिका बजट नियम, 1962 का उप-नियम 3 (3) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका प्रत्येक वर्ष शुद्ध आय का पांच प्रतिशत रिजर्व फंड खाता (संचित निधि) निर्मित करेगी ताकि यह विशेष परिस्थितियों में शहरी स्थानीय निकाय के हित में इस्तेमाल की जा सके ।

दस नगर पंचायत/ नगर पालिका / नगर निगमों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि (**परिशिष्ठ - VI**) आर्थिक संकट के कारण वर्ष 2001-08 की अवधि में उनकी शुद्ध आय से ₹ 1.55 करोड़ रिजर्व फंड खातों में जमा नहीं किया गया ।

1.15 दुकानों के किराये और प्रीमियम की वसूली न करना

दुकानों के मासिक किराये और प्रीमियम के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनेक स्थानों पर दुकानों का निर्माण कराया गया ।

13 नगर पालिका / नगर पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच पर खुलासा हुआ कि विगत दो से छः वर्ष की अवधि में राशि ₹ 0.68 करोड़ दुकानों के प्रीमियम और राशि ₹ 0.52 करोड़ किराये के इन नगरीय निकायों द्वारा वसूल नहीं की गई । विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ - VII** में दर्शाया गया है ।

1.16 निष्कर्ष

समस्त त्रिस्तरीय शहरी स्थानीय निकायों में सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बजट और लेखाओं का संधारण नहीं किये जा रहे थे । शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में अभी तक आंकड़ों का संकलन नहीं हुआ था । माडल म्यूनिसिपल लॉ की धारा 93 से 96 पर सी.ए.जी. के सुझावों को अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया था । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित जानकारी भी संधारित नहीं जा रही थी । कमिश्नर स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उनके आडिट प्लान का प्रधान महालेखाकार से अनुमोदन नहीं लिया गया । स्टीयरिंग कमैटी और राज्य विधान मण्डल समिति भी अभी तक नहीं बनाई गई थी ।

1.17 बारहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान और उसके उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष ।

1.17.1 बारहवें वित्त आयोग के अनुदान के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों की कंडिका 6.1 और 6.4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को 15 दिवसों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराना है। देरी होने की दशा में राज्य सरकार को रिजर्व बैंक के बराबर दर पर शहरी स्थानीय निकायों को ब्याज राशि का भुगतान किया जायेगा

वित्त विभाग के अभिलेखों (सितम्बर 2009) की नमूना जाँच में देखा गया कि भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि ₹ 72.20 करोड़ (प्रथम किस्त राशि 36.10 और द्वितीय किस्त राशि 36.10 करोड़) वर्ष 2008-09 में क्रमशः 24 अक्टूबर 2008 और 12 फरवरी 2009 को जारी की गई जो राज्य सरकार के खाते में उसी दिवस को प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच की गई। शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच (सितम्बर से दिसम्बर 2009) में देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित बैंक खातों उक्त अनुदान राशि 5.44 करोड़ 6 से 17 दिन (निर्धारित अवधि 15 दिन को छोड़कर) विलंब से हस्तांतरित की गई। जबकि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं पूर्व प्रक्रियानुसार वित्त विभाग को वर्ष 2008-09 में अनुदान राशि विलंब से हस्तांतरण के कारण 5 प्रतिशत ब्याज राशि का भुगतान की स्वीकृति जारी करनी चाहिए जो नहीं किया गया । लेकिन वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (फरवरी 2010)।

1.17.2 पिछले अनुदान की अव्ययित शेष

राज्य बारहवें वित्त आयोग कार्यान्वयन योजना/ दिशानिर्देशिका बताती है कि (अ) 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ब) 48 प्रतिशत जल आपूर्ति और (स) 2 प्रतिशत डाटा बेस के निर्माण पर बारहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग किया जा सकता है ।

22 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-09 में ₹ 13.41 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों को बारहवें वित्त आयोग का अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसमें से ₹ 5.86 करोड़ (सितम्बर से दिसम्बर 2009) अव्ययित रहा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -V11I**. में वर्णित है। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षा इकाई प्रमुखों ने बहुत से कारण बताए जैसे:- किए गए व्यय का परिषद द्वारा अनुमोदन न करना, अनुदान का देर से आवंटन किया जाना, लेडफिल स्टेशनों हेतु भूमि का अधिग्रहण न किया जाना।

1.17.3 अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र (UCs)

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान पर भारत सरकार की दिशा-निर्देशिका की कंडिका 6.3 के अनुसार राज्य के वित्त सचिव को प्रत्येक वर्ष एक उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च किए गए अनुदान की व्यय राशि विवरण वर्षान्त भारत सरकार को भेजा जाना अपेक्षित था ।

नगर पालिकाओं और परिषदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया है कि 23 शहरी स्थानीय निकायों वर्ष 2005-09 के मध्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹ 9.71 करोड़ प्राप्त हुए । जिसमें से केवल ₹ 2.66 करोड़ इस अवधि में उपयोग किए जा सके शेष ₹ 7.05[2] करोड़ अनुपयोगी शेष रहे विवरण **परिशिष्ट IX** में वर्णित है । जबकि वित्त विभाग ने वर्ष 2005-09 के मध्य राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्राप्त (50 प्रतिशत बारहवें वित्त आयोग का अनुदान) ₹ 144.40 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किए गए ।

वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए बारहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक स्थिति प्रतिबिंवित नहीं करते । वित्त विभाग का उत्तर अपेक्षित है । (फरवरी 2010)

1.17.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कोई प्रगति नहीं

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान पर भारत सरकार की दिशानिर्देशिका की कंडिका 3.1 (**XIV**) के अनुसार प्रत्येक राज्य को शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्राप्त अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्धारित किया जाना था । नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट के संग्रह, छांटना और परिवहन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

नौ शहरी स्थानीय निकायों जो 6 जिलों से संबंधित है के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-09 में ₹ 1.97 करोड़ अनुदान जारी करने के बावजूद केवल ₹ 0.0228 करोड़ के डी.पी.आर. निर्माण पर खर्च किए गए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कोई भी खर्च नहीं किया गया । विवरण **परिशिष्ट X** में वर्णित है ।

1.17.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों का अनुपालन न होना

भारत सरकार की अनुसूची 11 परिशिष्ट (नियम 6 (**i**) एवं (**iii**), 7 (**i**)) के अनुसार नगर पालिका ठोस अवशिष्ट (प्रबंधन एवं संयालन नियम 2000) जो कि राजपत्र (25 सितम्बर 2000) में प्रकाशित है, में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के मानदण्ड के साथ इसकी पूर्ण प्रक्रिया संग्रहण, छांटना, भंडारण, परिवहन प्रसंस्करण एवं निपटान सुनिश्चित की गई थी ।

छः[3] नगर पालिका निगम के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक ₹ 19.78[4] करोड़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में केवल नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन पर व्यय किए गए, लेकिन जैसाकि भारत सरकार की दिशानिर्देशिका बारहवें वित्त आयोग अनुदान की कंडिका 3.1 में वर्णित है सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अन्य कार्य जैसे छांटना, भंडारण, प्रसंस्करण और निपटारा आदि नहीं किए गए ।

---

2 अव्ययित राशि ₹ 7.05 करोड़ (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित)

3 नगर निगम भोपाल, देवास, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन

4 ₹ 19.78 करोड़ (भोपालः ₹ 9.15, देवासः ₹ 0.31, जबलपुरः ₹ 6.09, सागरः ₹ 0.31, सतनाः ₹ 1.07 और उज्जैनः ₹ 2.85 करोड़)

नगर पालिका निगमों ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए कार्यों को प्रारंभ न करने व बदलाव नहीं करने के बारे में जो कारण बताये वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी मानदण्ड और सार्वजनिक निजी भागीदारी का कार्यान्वयन न किया जाना ।

1.17.6 शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पर डाटावेस तैयार करना

दूसरा राज्य वित्त आयोग (**SFC**) (वित्तीय प्रस्ताव से परे) की सिफारिशों (दिसम्बर 2003) में नगर पालिकाओं में वित्त पर डाटावेस बनायें जाने की आवश्यकता बतायी है । इन सिफारिशों का राज्य शासन द्वारा मार्च 2005 में स्वीकार किया था । भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा निर्धारित मानक प्रपत्रों में, जिसे शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जून 2004 में मंजूरी दी गई। डाटावेस का एकत्रीकरण, संकलन और संधारण करने की आवश्यकता है लेकिन डाटावेस के विकास हेतु अंतिम कार्यवाही की प्रतीक्षा थी । (दिसम्बर 2009)

वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र सूचित किया गया में जुलाई 2009 में बारहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 5.78 करोड़ (बारहवें वित्त अयोग की अनुदान ₹ 588.80 करोड़ का 2 प्रतिशत) लेखों के संधारण और डाटावेस के संकलन हेतु वर्ष 2005-06 से 2008-09 में निर्धारित कार्य डाटावेस हेतु उपयोग किए गए, लेकिन 5[5] जिलों के नगर पालिका/ परिषदों की नमूना जाँच में देखा गया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित मानक प्रपत्रों में वित्त का डाटावेस संधारण / संकलन नहीं पाया गया । 15 नगर परिषदों के अभिलेखों में देखा गया कि डाटावेस बनाने हेतु प्राप्त ₹ 19.07 लाख में से ₹ 16.85 लाख (84 प्रतिशत) मार्च 2009 तक अव्ययीत शेष थे ।

5 जबलपुर, झाबुआ, सागर, सतना और उज्जैन

द्वितीय - अध्याय

लेनदेन की लेखापरीक्षा

द्वितीय अध्याय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा
(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

2.1 नगर निगमों द्वारा शहरी विकास उपकर जमा न करना

शहरी विकास उपकर की राशि ₹ 16.78 करोड़ शासकीय खाते में जमा न करना ।

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981 के धारा 6 (1) के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका अथवा शहरी क्षेत्र में स्थित भवन/ भूमि या दोनों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत शहरी विकास उपकर आरोपित व उद्ग्रहित किया जाना था, साथ ही जहाँ भूमि अथवा भवन अथवा दोनों मालिक के स्वयं के व्यवसाय के लिये हो वहाँ उपकर की राशि उक्त दर की आधी अर्थात 2.5 प्रतिशत होगी । स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एकत्रित उपकर की राशि में से एकत्रीकरण प्रभार की राशि (जिसे राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है) घटाने के पश्चात शेष राशि राज्य शासन के खाते में जमा की जायेगी । जिसका उपयोग शहरी विकास योजना विशेषरूप से गंदगी निवारण हेतु किया जायेगा ।

जबलपुर, रतलाम एवं सतना नगर निगमों के अभिलेखों (4/2004 से 3/2007) एवं तत्पश्चात एकत्रित जानकारी (जनवरी 2010) में पाया गया कि सम्पत्ति के मालिकों से वर्ष 2004 से 2007 में **परिशिष्ट - XI** के अनुसार उपकर की राशि ₹ 16.78 करोड़ वसूल की गई थी किंतु प्रावधानों के विपरीत उपकर की राशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने पर आयुक्त ने सूचित किया कि निधियां अपर्याप्त होने के कारण उपकर की राशि शासन के खाते में जमा नहीं की गई एवं इस सम्बंध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे । इस प्रकार उपकर की राशि शासकीय खातों में जमा नहीं करवाई गई और शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना एकत्रित राशि का अनियमित रूप से अन्य गतिविधियों में प्रत्यावर्तित किया गया ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2009) किंतु उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2009) ।

2.2 दुकानों के निर्माण पर ₹ 1.17 करोड़ अवरूद्ध रहना

सुभाष चंद्र बोस शॉपिंग काम्पलेक्स में 104 दुकानों के निर्माण कार्य पर ₹ 1.17 करोड़ का अवरूद्ध रहना ।

मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति हस्तांतरण) नियम 1994 के नियम 3 के अनुसार किसी भी राजस्व अर्जन करने वाली सम्पत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण सार्वजनिक नीलामी अथवा मुहर बंद लिफाफे में आमंत्रित निविदा के माध्यम से उच्चत्तम बोलीदाता को किया जावेगा, अन्यथा अभिप्राय की स्थिति में शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी ।

नगर निगम रतलाम में बस स्टैण्ड स्थित सुभाष चंद्र बोस कॉम्पलैक्स में विद्युतीकरण कार्य हेतु आरक्षित 2 दुकानों सहित 104 दुकानों का निर्माण (1999) निकाय निधि से राशि ₹ 1.17 करोड़ (प्रति दुकान लागत दर ₹ 1.121 लाख) लागत पर किया गया था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी उक्त दुकानों के आवंटन हेतु 112 आवेदकों को न तो दुकाने आवंटित की गई और न ही उनकी पंजीयन की राशि वापस की गई । परिणामस्वरूप बस स्टैण्ड रतलाम में 104 दुकानों के निर्माण पर ₹ 1.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर निगम रतलाम ने उत्तर दिया (जुलाई एवं दिसम्बर 2009) कि अधिनियम (अचल सम्पत्ति नियम 1994) में ''पहले आओ पहले पाओ'' का प्रावधान नहीं था अतः इस संबंध में नगर निगम द्वारा शासन से मार्गदर्शी सिद्धांत मांगे गये थे (अक्टूबर 2009) । शासन के निर्णय उपरांत दुकान आवंटन की कार्यवाही की जावेगी ।

10 वर्ष वित जाने के बावजूद निगम द्वारा दुकाने आवंटित नहीं की जा सकी । इस तरह दुकानों पर किया गया व्यय राशि रू. 1.17 करोड़ बेकार रहा ।

मामला शासन को (दिसम्बर 2008) प्रतिवेदित किया गया उत्तर अबतक अप्राप्त है । (दिसम्बर 2009) ।

2.3 कलेक्टर द्वारा जारी मार्गदर्शक सिदान्तों के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भूखण्डों का आवंटन / परिणामस्वरूप राजस्व की हांनि ₹ 78.10 लाख ।

कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भूखण्डों के आवंटन के कारण नगर निगम को ₹ 78.10 लाख की राजस्व की हानि ।

मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम (अचल सम्पत्ति हस्तांतरण) नियम 3 (क) के अनुसार लोक संस्थाओं को शैक्षणिक, धार्मिक अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनुसूचित दर से कम दर पर अचल सम्पत्ति हस्तांतरण करने के पूर्व नगर पालिका निगम को शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

आयुक्त नगर निगम रतलाम के अभिलेखों अप्रैल 2004 से मार्च 2007 (अगस्त 2008) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 212 (192 पंजीकृत एवं 20 अपंजीकृत) भूखण्ड, व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजन (जो कि सार्वनजिक प्रयोजन हेतु नहीं था बल्कि निजी प्रयोजन हेतु था) हेतु उपरोक्त अनुबंध के आधार पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर, प्लाटों को आवंटित किये गये थे । आयुक्त एवं महापौर द्वारा कम दर पर भूखण्डों का आवंटन नियम 3 (क) के प्रावधानों के विपरीत था ।

इस प्रकार निर्धारित दर से कम दर पर भूखण्डों का व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन (जो कि सार्वजनिक प्रयोजन न हो कर निजी प्रयोजन था) के परिणामस्वरूप

212 भूखण्डों पर ₹ 78.10 लाख की हानि हुई विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - XII** में वर्णित है ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2008) किंतु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2009) ।

2.4 हुडकों के ऋण पर ब्याज एवं प्रक्रिया शुल्क की हानि ₹ 26.68 लाख ।

ठेकेदार को बाधा रहित कार्यस्थल उपलब्ध न कराने के कारण नगर निगम देवास ने ऋण का उपयोग किये बिना ब्याज राशि ₹ 23.99 लाख एवं प्रक्रिया शुल्क ₹ 2.69 लाख का भुगतान किया ।

देवास नगर निगम ने शहर के भीषण जल संकट से निपटने हेतु वर्तमान एवं आगामी 30 वर्षों तक शहर में जल की मांग को पूर्ण करने के लिये क्षिप्रा नदी पर स्टाप डेम परियोजना प्रारम्भ की (1998)/ परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 29.80 करोड़ थी । जिसकी 70% राशि शासन की बैंक गारंटी पर आवासीय एवं शहरी विकास निगम के ऋण से वित्त पोषित थी एवं शेष राशि का प्रबन्ध निगम को अपने स्त्रोतों से करना था । शहरी विकास विभाग ने परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति (अगस्त 2000) एवं संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति (जून 2002) राशि ₹ 27.99 करोड़ प्रदान की । नगर निगम देवास एवं मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो चेन्नई (एल.एण्ड टी.) के द्वारा एक अनुबंध अगस्त 2002 में निष्पादित किया गया । अनुबंध के उपबंध क्रमांक (4) के अनुसार कार्य के नक्शे की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार को बाधा रहित कार्य स्थल उपलब्ध कराना था । कार्य का नक्शा (डिजायन) जून 2003 में स्वीकृत किया गया था तद्नुसार निगम को रेल्वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था । कार्य की तकनीकी स्वीकृति जून 2003 में जारी हुई एवं तद्नुसार कार्य स्थल सौंपने अथवा कार्यादेश जारी होने के 15 माह के अंदर कार्यादेश (जुलाई 2003) जारी किया गया । उक्त तारतम्य में हुडकों द्वारा नगर निगम देवास को ऋण की प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.51 करोड़ जारी किये (दिसम्बर 2003) ।

अप्रैल 2006 से मार्च 2008 (जुलाई 2009) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार को कार्य स्थल उपलब्ध न कराने के कारण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ व नवम्बर 2004 तक आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये जा सकें । नवम्बर 2005 में अनुबंध निरस्त किया गया । अतः निगम ने ऋण की राशि का उपयोग किये बिना ब्याज सहित ऋण की राशि ₹ 1.78 करोड़ (ऋण ₹ 1.51 करोड़, ब्याज ₹ 23.99 लाख व प्रक्रिया शुल्क ₹ 2.69 लाख) वापस की (दिसम्बर 2006) / परिणामस्वरूप निगम को ₹ 26.68 लाख की हानि हुई ।

उत्तर में आयुक्त द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार ने अनुबंध के विरूद्ध मूल्य वृद्धि की मांग की थी अतः अनुबंध निरस्त किया गया व भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका ।

उत्तर मान्य करने योग्य नहीं है क्योंकि अनुंबध की शर्तों के अनुसार नवम्बर 2004 तक बाधा रहित कार्य स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया । परिणामस्वरूप ₹ 26.67 लाख की क्षति हुई ।

मामला शासन को नवम्बर 2009 में प्रतिवेदित किया गया उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2010) ।

2.5 दुकानों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय राशि ₹ 59.10 लाख ।

मांग आधारित दुकानों का निर्माण न कराने के कारण निष्क्रिय व्यय राशि ₹ 59.10 लाख ।

ग्रामीण एवं छोटे शहरी क्षेत्रों के प्रवास को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित योजना (1979-80 में) समन्वित विकास और मझौले शहरों (IDSMT) लाई गई जो आर्थिक विकास और रोजगार के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिये थी । नगर पालिका परिषद, शाजापुर ने दिनांक 21.7.2001 को एक विकास योजना तैयार करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर को मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, (MPBPS) भोपाल से समझौता करने के लिए उक्त योजना के तहत अधिकृत किया । फलस्वरूप मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ ने सात कामों कुल राशि ₹ 2.06 करोड़[1] में सम्मलित एक काम राशि ₹ 64.47 लाख जो हाट मैदान शाजापुर में दुकानों के निर्माण (38 दुकानें और 11 प्लेटफार्म दो चरणों में) की योजना तैयार की। उक्त योजना (अगस्त 2002) को राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर को (अक्टूबर 2002) में मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा सूचित किया गया । तद्नुसार अनुदान के रूप में वर्ष 2002-03 में प्रथम किस्त राशि रू. 1.09 करोड़[2] जारी की गई ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर की नमूना लेखापरीक्षा (जनवरी 2010) के दौरान देखा गया कि नगर पालिका शाजापुर द्वारा हाट मैदान में दुकानों के निर्माण पर कुल राशि ₹ 59.10 लाख का व्यय किया और दुकानों को पट्टे पर निलामी करने के लिए (अक्टूबर 2007) राजस्व विभाग को सूपुर्द किया । नगर पालिका परिषद के पारित संकल्प दिनांक 3.12.2007 के अनुसार दुकानों की बिक्री के लिए प्रीमीयम राशि ₹ 1.51 लाख और प्रति दुकान राशि ₹ 500 मासिक किराया निर्धारित किया । इस संबंध में आगे देखा गया कि अखबारों दुकानों की बिक्री के लिए नगर पालिका द्वारा तीन बार विज्ञप्ति दिनांक 29.1.2008, 23.6.2008 और 26.2.2009 को प्रकाशित की गई । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अचल संपत्ति के निपटान के लिए जैसे पट्टा बिक्री या भाडा पर देने के लिए दिनांक 26.2.2009 के बाद कोई प्रयास नहीं किया । दुकानों के निर्माण के दो वर्ष बीत जाने के बावजूद दुकाने खाली पड़ी थी इस तरह दुकानों के निर्माण पर किया गया व्यय राशि ₹ 59.10 लाख निष्क्रिय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा (जनवरी 2010) में जब आपत्ति इंगित की तो बताया गया कि दुकानों का निर्माण वास्तविक माँग आधारित नही था और यह भी स्वीकार किया गया कि नीलामी में बोली लगाने वाले इस कारण नहीं आये क्योंकि दुकानों का निर्माण घनी

---

1 केन्द्रीय अंश ₹ 0.90 करोड़, राज्य अंश ₹ 0.60 करोड़ एवं स्थानीय निकाय अंश ₹ 0.56 करोड़ ।

2 केन्द्रीय अंश ₹ 0.79 I करोड़, राज्य अंश ₹ 0.30 करोड़

आबादी से दूर था । इस प्रकार नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानों पर किया गया व्यय राशि ₹ 59.10 लाख बेकार हो गया ।

प्रकरण शासन के ध्यान में (फरवरी 2010) लाया गया उत्तर अब तक अप्राप्त है (मार्च 2010)

भाग - द्वितीय
पंचायती राज संस्थान
(अध्याय - प्रथम)

भाग - द्वितीय - पंचायती राज संस्थायें

अध्याय - 1

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 परिचय

पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम (अधिनियम) 1993 (MPPRGSA) द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई जो जनवरी 1994 से लागू की गई ।

वर्तमान में राज्य में 48 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत एवं 23051 ग्राम पंचायत (मार्च 2009 की स्थिति में) है । ग्राम पंचायतों के विगत आम चुनाव वर्ष 2004-05 में आयोजित हुये थे।

1.2 क्षेत्रफल और जनसंख्या

राज्य के कुल क्षेत्रफल (3,08,000 वर्ग किलो मीटर) में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी 4.51 करोड़ जो कुल आबादी 6.03 करोड़ का 75 प्रतिशत था इनमें से क्रमशः 0.90 करोड़ (15 प्रतिशत) एवं 1.21 करोड़ (20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थी ।

1.3 प्रशासनिक व्यवस्था

समस्त पंचायती राज संस्थाये राज्य निगरानी के अधिकार क्षेत्र में निहित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सोंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिये निश्चित वैधानिक शक्ति हैं । विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे जिला, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर दी गई है ।

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

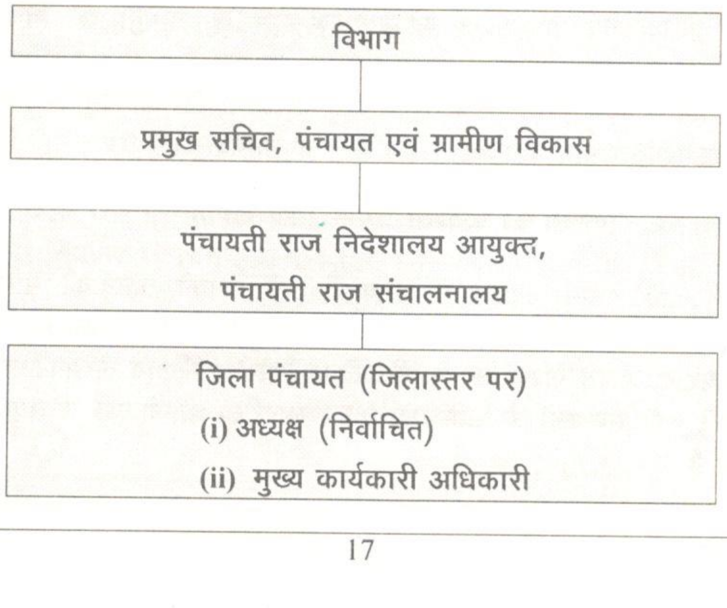

जनपद पंचायत (ब्लाक स्तर पर) (i) अध्यक्ष (निर्वाचित) (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ग्राम पंचायत (गांव स्तर पर) (i) सरपंच (निर्वाचित) (ii) सचिव

1.4 लेखा व्यवस्था

1.4.1 अधिनियम में संशोधन

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन द्वारा नवम्बर 2001 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा के अधिकार संचालक / आयुक्त स्थानीय निधि सम्परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को **PRIs** के लेखाओं के संधारण पर उनके तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन सोंपे गये हैं । लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के अधिनियमों में सी.ए.जी. को शक्ति देने सम्बन्धी संशोधन नहीं किया गया और न ही पंचायती राज निदेशालय के साथ नियमित पत्राचार के बाद भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई । टी.जी.एस. के प्रावधान अधिनियमों एवं नियमों में सम्मिलित करने हेतु प्रमुख सचिव वित्त विभाग के साथ नवम्बर 2008 में अयोजित चर्चा में आश्वासन दिया गया कि अन्य राज्यों के तरीकों के सम्बन्ध में परामर्श के पश्चात उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

1.4.2 वार्षिक लेखे

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियम 63 के अनुसार पंचायत सचिव अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अधिकृत किया हो वार्षिक लेखे तैयार करेगा और नियम 62 में निर्धारित कार्यवाही के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को सामान्य प्रशासन समिति को विचारार्थ और अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा । जिला पंचायत मंदसौर (30 ग्राम पंचायत), रतलाम (35 ग्राम पंचायत) और नीमच (7 ग्राम पंचायत) के अभिलेखों की नमूना जाँच पर देखा गया कि लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों ने इस तरह के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये थे ।

1.5 लेखापरीक्षा की व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा नवम्बर 2001 में सी.ए.जी. को उनकी तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अधीन पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु सहमति दी थी । तदनुसार कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा एवं लेखा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा टी.जी.एस. मोड्यूल के तहत की जा रही है ।

1.6 आडिट प्लान का अनुमोदन

निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय संपरीक्षा को प्रधान महालेखाकार के परामर्श से वार्षिक आडिट प्लान तैयार करना चाहिये ताकि प्रधान महालेखाकार द्वारा अपने आडिट प्लान में नमूना जाँच हेतु 20 प्रतिशत इकाईयों का चयन/रोटेशन, लेखापरीक्षा दल की संरचना एवं उनकी तैनाती की जा सके । प्रधान महालेखाकार आडिट प्लान का अनुमोदन टी. जी.एस. व्यवस्था के एक भाग के रूप में करेगा । जबकि, शासन से अनुरोध (फरवरी - नवम्बर 2008) के बावजूद कभी भी डी.एल.एफ.ए. का आडिट प्लान प्रधान महालेखाकार से अनुमोदित नहीं कराया गया । डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2009-10 का आडिट प्लान प्रधान महालेखाकार के परामर्श/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए सहमत था।

1.7 राज्य विधान मण्डल समिति का गठन

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा थी कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट लोक लेखा समिति की तर्ज पर गठित राज्य विधान मण्डल की समिति के सम्मुख रखी जायेगी । प्रधान महालेखाकार द्वारा शासन को निवेदन के बावजूद भी इस समिति का गठन (दिसम्बर 2010) नहीं किया गया था । शासन ने उत्तर दिया कि वह इस वर्ग के दायरे में स्थानीय निकायों के अन्य वर्गों को भी सम्मिलित करना चाहता है एवं मध्य प्रदेश विधान सभा के कार्य प्रणाली नियमों में संशोधन के लिये गम्भीरता से विचार कर रहा है ।

1.8 राजस्व के स्त्रोत

स्थानीय निकायों की आय के दो प्रमुख स्त्रोत हैं (i) शासकीय अनुदान और (ii) स्वयं का राजस्व । शासकीय अनुदानों में (अ) राज्य वित्त आयोग (**SFI**) की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा जारी कोष, बारहवें वित्त आयोग (**TFC**) की अनुशंसाओं पर भारत सरकार द्वारा जारी कोष (ब) विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन एवं भारत सरकार का अंशदान सम्मिलित है । पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित है ।

1.9 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति एवं व्यय

1.9.1 वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना

प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिये और जिला प्रशासन द्वारा उस पर नियमित निगरानी रखनी चाहिये ।

चार जिलों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि प्रत्येक जिले में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को शामिल करके जिला योजना समिति का गठन किया गया था । वार्षिक जिला कार्य योजना जमीनी स्तर यानी ग्राम

[1] ग्वालियर, मंदसौर, नीमच और रतलाम

पंचायत स्तर पर विना वार्षिक कार्य योजना बुलाये वगैर ही बनाई गई थी । इसलिये ग्राम पंचायत स्तर तक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका । त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये विकेन्द्रीयकृत वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है ।

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के लिये अंशदान एवं ग्यारहवां तथा बारहवां वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित अनुदान को शामिल करते हुये पंचायती राज संस्थाओं को बजट के माध्यम से निधि का आवंटन निम्नानुसार किया गया:-

(₹ करोड़ में)

क्र.	अनुदान						व्यय			आधिक्य (+) / बचत (-)
	वर्ष	करांश	योजना राशि	अनुदान	निदेशालय के वेतन भत्ते	योग	राजस्व	पूंजी गत	योग	
1.	2005-06	130.25	244.43	1583.25	0.03	1957.96	1832.67	6.63	1839.30	(-) [illegible]
2.	2006-07	19.30	245.63	2455.10	0.37	2720.40	2241.73	0.04	2241.77	(-) [illegible]
3.	2007-08	176.12	239.49	2823.72	0.06	3239.39	2999.92	3.03	3002.95	(-) [illegible]
4.	2008-09	174.30	415.21	3391.58	6.39	3987.48	3125.25	0.03	3125.28	(-) [illegible]

तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2008-09 में बजट प्रावधानों में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन पंचायती राज संस्थायें राशि का व्यय नहीं कर सकीं जिसके परिणाम में वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक पर्याप्त बचत रहीं । पंचायती राज संस्थाओं में प्राप्त राजस्व एवं उनके विरूद्ध व्यय का विस्तृत विवरण पंचायती राज विभाग स्तर पर संधारित नहीं किया गया था । पूछे जाने पर पंचायती राज विभाग ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2009) में बताया कि यह जानकारी एकत्रित करके लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई जायेगी ।

1.9.2 राज्य वित्त अयोग (SFC)

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के 90 प्रतिशत का 2.93 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण करने की द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वित्त विभाग ने (मार्च 2005) स्वीकार कर ली थी । राज्य के बजट के माध्यम से वर्ष 2005-06 से 2008-09 में पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान की स्थिति इस प्रकार थी:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की कर राजस्व की राशि		स्वयं के कर राजस्व का आवंटित किये जाने योग्य निर्धारित प्रतिशत (यानी 2.93%)	स्वयं के कर राजस्व का अंश (SFC अनुदान) जो को PRIs जारी किया गया	कमी (प्रतिशत सहित)
	योग	10 प्रतिशत कम करने के पश्चात शुद्ध राजस्व			
1	2	3	4	5	6
2005-06	9115	8203.50	240.36	207.91	32.45 ([illegible])
2006-07	10473	9425.70	276.13	208.70	67.43 ([illegible])
2007-08	12018	10816.20	316.91	243.00	73.91 ([illegible])
2008-09	13614	12252.60	359.00	226.00	133 ([illegible])

बजट आवंटन में कमी का कारण पूछा गया लेकिन वित्त विभाग का उत्तर (दिसम्बर 2009) वांछित है ।

एस.एफ.सी. की सिफारिशों के तहत धन का हस्तान्तरण वुनियादी सेवाओ बना जल आपूर्ति और स्वच्छता के विकास कार्यों के लिये था । पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2005-06 से 2008-09 में निधि कम मात्रा में जारी करने से एस.एफ.सी. द्वारा परिकल्पित प्रयोजनों के लिये धन की उपलब्धता कम रही ।

1.10 लेखापरीक्षा की लम्बित कंडिकाओं की स्थिति

ग्वालियर क्षेत्र को छोड़कर डी.एल.एफ.ए. की निरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा की लम्बित कंडिकाओं की संख्या मार्च 2009 की स्थिति में 94703 थी । इसी प्रकार इस तिथि को महालेखाकार की लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या 11236 जो निम्नानुसार थाः-

(अ) डी.एल.एफ.ए. की लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की स्थिति

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	पंचायती राज संस्थान			
		पूर्व लंबित कंडिकाओं की स्थिति	कंडिकायें जुड़ी	कंडिकाओं का निराकरण	शेष लंबित कंडिकायें
1.	2006-07	87601	7250	12494	82357
2.	2007-08	82357	4502	10416	76443
3.	2008-09	76443	21151	2891	94703

(ब) महालेखाकार की लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की स्थिति

(31 मार्च 2009 की स्थिति में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	पंचायती राज संस्थान			
		पूर्व लंबित कंडिकाओं की स्थिति	कंडिकायें जुड़ी	कंडिकाओं का निराकरण	पूर्व लंबित कंडिकाओं की स्थिति
1.	2006-07	2824	3029	निरंक	5853
2.	2007-08	5853	3877	07	9723
3.	2008-09	9723	1544	31	11236

वित्त विभाग द्वारा प्रभावी अनुसरण के बाद भी लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखा परीक्षा समिति गठित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कंडिकाओं का निराकरण नहीं किया गया ।

1.11 बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष राशि वापस नहीं किया जाना

शासन द्वारा जारी संस्वीकृति एवं योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष राशि संबंधित विभागों को वापस करनी चाहिए ।

आठ पंचायती राज संस्थाओं की अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष राशि ₹ 1.17 करोड़ संबंधित विभागों को वापस नहीं की गई, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -XIII** में वर्णित है ।

परिणामस्वरूप सिर्फ धन का अवरूद्धकरण ही नहीं बल्कि ग्रामीण आबादी भी योजनाओं के लाभ से बंचित रही ।

1.12 कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास बकाया अग्रिम

म.प्र. जनपद (लेखा नियम) 1999 के नियम-49 के अनुसार कार्यालयीन व्यय एवं परिवहन के लिए अग्रिम कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सी (सरपंचों, प्रधान, अधिकारियों आदि) को दिया जाय तो अग्रिमों का समायोजन व्यय होते ही तुरंत करनी चाहिए, समायोजन न होने की दशा में संपूर्ण राशि की बसूली आगामी वेतन से करनी चाहिए ।

पांच पंचायती राज संस्थाओं की अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अग्रिम राशि ₹ 14.24 लाख जो कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियां के विरूद्ध बकाया थी का समायोजन तीन से पांच वर्षों तक नहीं किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -XIV** में वर्णित है ।

1.13 बैंक समाशोधन विवरण तैयार न करना

म.प्र. जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम के नियम 25-26 के अनुसार रोकड़ वही और बैंक खातों के शेष राशि के अंतर का समाधान प्रत्येक महीने बैंक समाशोधन विवरण तैयार करनी चाहिए । जबकि 22 पंचायती राज संस्थाओं की अभिलेखों वर्ष (2007-08) की नमूना जाँच में पाया गया कि रोकड़ वही एवं बैंक खातों के शेष अंतर की राशि 5.25 करोड़ थी जिसका समाशोधन बैंक समाशोधन विवरण तैयार नहीं किया गया था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - **XV** में वर्णित है ।

रोकड़ शेष राशि के अन्तर का समाशोधन नहीं करने से राशि गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और समाशोधन न होने की दशा में संदेह की परिधि में तब तक बना रहेगा जब तक बैंक समाशोधन विवरण तैयार नहीं हो जाता ।

1.14 निष्कर्ष

पंचायती राज संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक लेखा का तैयार न किया जाना । राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े तैयार नहीं किये गये । स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा योजना की स्वीकृति प्रधान महालेखाकार के द्वारा नहीं ली गई जिसकी परिकल्पना तकनीकी मार्गदर्शन में था । स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई को राज्य विधान मंडल में रखने के लिए समिति का गठन नहीं किया गया है ।

1.15 बारहवीं वित्त आयोग की अनुदान की राशि जो पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई के उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष ।

1.15.1 पंचायती राज संस्थाओं को विलंब से अनुदान का हस्तांतरण और विलंब हस्तांतरण के कारण ब्याज का भुगतान न करना ।

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देश, की कंडिका 6.1 और 6.4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को 15 दिवसों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराना है । देरी होने की दशा में राज्य सरकार को रिजर्व बैंक के बराबर दर पर पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज राशि भुगतान किया जायेगा ।

वित्त विभाग के अभिलेखों (सितम्बर 2009) की नमूना जाँच में देखा गया कि भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि ₹ 332.60 करोड़ (प्रथम किस्त राशि 166.30 और द्वितीय किस्त 166.30 करोड़) वर्ष 2008-09 में क्रमशः 7 अक्टूबर 2008 और 28 अप्रैल 2009 को जारी की गई जो राज्य सरकार के खाते में उसी दिवस को प्राप्त हुई । लेखापरीक्षा के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों की नमूना जाँच की गई । नमूना जाँच में 266 ग्राम पंचायतों (सितम्बर से दिसम्बर 2009) के अभिलेखों में देखा गया कि अनुदान के रूप में राशि ₹ 3.92 करोड़[2] संबंधित बैंक खातों में 15 से 338 दिन विलंब से हस्तांतरित की गई । भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वित्त विभाग को वर्ष 2008-09 में विलंब से अनुदान जारी करने के कारण 5% बार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करनी चाहिए थी ।

राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त 60 दिवस विलंब (15 दिन के अतिरिक्त) से जारी करने पर पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज के रूप में राशि ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान किया गया जबकि द्वितीय किस्त वर्ष 2008-09 में विलंब से जारी करने के कारण ब्याज राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं किया गया ।

विलम्ब से अनुदान राशि हस्तानांतरण के कारण ब्याज भुगतान की आपत्ति पर (दिसम्बर 2009) वित्त विभाग एवं पी.आर.डी. द्वारा अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

1.15.2 स्वयं की परियोजना तैयार किये बिना ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय

12 वें वित्त आयोग (2006 संशोधित) की दिशानिर्देशों की कंडिका क्र. 4.1.3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतों को (स्वयं की परियोजना) वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसे ग्राम सभा से अनुमोदित करानी चाहिए । ग्राम पंचायतों को स्वयं की परियोजना की एक प्रति जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को सूचनार्थ भेजनी चाहिए उसके बाद तदनुसार कार्यवाही करनी चाहिए ।

छः जिलों[3] की 159 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि राशि ₹ 2.08 करोड़ का व्यय, वार्षिक कार्य योजना तैयार किये बिना किया गया । इंगित किये

[2] ₹ 3.92 करोड़ (प्रथम किस्त ₹ 1.95 करोड़ और द्वितीय किस्त ₹ 1.97 करोड़)

[3] धार, जबलपुर, झाबुआ, सागर, सतना और उज्जैन

जाने पर ग्राम पंचायतों द्वारा कहा गया कि वे इस तरह के दिशा निर्देशों के बारे में जानते नहीं है ।

1.15.3 उपभोक्ता प्रभार की बसूली लंबित रहना

भारत सरकार की दिशानिर्देश, 12वें वित्त आयोग की कंडिका 3.1 (**XII**) के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं को आवर्ती लागत की कम से कम 50 प्रतिशत उपयोगकर्त्ता शुल्क के रूप में बसूली करनी चाहिए । राज्य सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों (कंडिका 4.2.1.1) के अनुसार उपयोगकर्त्ता शुल्क की बसूली जल आपूर्ति योजना ''नल जल'' के तहत पानी कनेक्शन के उपभोक्ताओं से किया जाना था ।

छः जिलों[4] की 77 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों में देखा गया कि राशि ₹ 0.39 करोड़ पानी कनेक्शन के 15271 उपभोक्ताओं से बसूली हेतु लंबित था । उपयोगकर्त्ता शुल्क के लंबित रहने का कारण सहायोग रूचि न लेना /जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग की कमी / तथापि ग्राम पंचायतों (सितम्बर से दिसम्बर 2009) में बताया गया कि उपभोक्ता प्रभार की बसूली की जावेगी ।

1.15.4 सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना ।

12 वें वित्त आयोग की राज्य दिशा निर्देशों (2006 संशोधित) की कंडिका 13 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य और विकास कार्य का सामाजिक अंकेक्षण संबंधित ग्राम सभा द्वारा कराना था । पांच जिलों[5] की 160 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जॉच में देखा गया कि ग्राम संभाओं द्वारा निर्देशों के अभाव, अज्ञानता और काम के वोझ के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया ।

1.15.5 वित्त पर डाटाबेस स्वरूपों को पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा विकसित नहीं करना ।

11वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं का वित्त से संबंधित डाटा का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में एकत्रीकरण, संकलन एवं रखरखाव किया जाना था । परन्तु डेटाबेस प्रारूप को विकसित नहीं किया गया । उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2008-09 में 12 वें वित्त आयोग की अनुदान की राशि ₹ 332.60 करोड़ जिसमें राशि ₹ 14.16 करोड़ जो लेखाओं के संधारण एवं डेटाबेस विकसित करने के लिये थी का उपयोग जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायतों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों पर किया गया लेकिन पांच जिलों[6] की जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायतों की नमूना जॉच में देखा गया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया निर्धारित प्रारूपों को विकसित नहीं किया गया ।

---

[4] धार, जबलपुर, झाबुआ, सागर, सतना और उज्जैन

[5] 160 ग्राम पंचायत (जबलपुर 29, झाबुआ 29, सागर 33, सतना 09 और उज्जैन 33).

[6] जबलपुर, झाबुआ, सागर, सतना और उज्जैन

1.16 अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं

1.16.1 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अपूर्ण कार्य

11 जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 750 कार्य वर्ष 2001-02 से अपूर्ण है जिस पर राशि ₹ 791.43 लाख का व्यय किया जा चुका है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - XVI** में वर्णित है । कार्य पूर्ण न होने के कारण परिसम्पत्तियों का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल सका । इसके अलावा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने के कारण परिसंपत्तियों के टूट-फूट से इंकार नहीं किया जा सकता ।

1.16.2 इंदिरा आवास योजना के तहत पुरूष हितग्राहियों को अनियमित आवंटन

भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देश की कंडिका 6 एवं मध्य प्रदेश शासन की कंडिका 5.5 के अनुसार भूखण्ड का मालिक एवं आवास का मालिका हक अविवाहित महिला, या तालाक शुदा महिला या पति पत्नि संयुक्त नाम से हो ।

14 जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि 5249 आवास, आवंटित राशि ₹ 10.50 करोड़ विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-XVII** में वर्णित है पुरूष हितग्राहियों को आवंटित किये गए जो दिशा निर्देशों की अवहेलना है ।

दिनांक 30 मार्च 2011

स्थानः ग्वालियर

(जे.आर.मीणा)
उप महालेखाकार
(स्थानीय निकाय)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक 04 अप्रैल 2011

स्थानः ग्वालियर

(बी.आर.खैरनार)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

(कंडिका संदर्भ –1.6.1 पेज-4)

शहरी स्थानीय निकायों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं द्वारा अधिरोपित राजस्व वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक तथा राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	वर्ष	प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं द्वारा अधिरोपित राजस्व						व्यय			आधिक्य (-)/ वचत (+)
			स्वयं द्वारा अर्जित आय	अधिरोपित राजस्व	राज्य अनुदान	केन्द्र अनुदान	ऋण+ अन्य प्राप्तियां	योग	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	नगर पालिक निगम भोपाल	2005-06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2006-07	62.43	54.11	18.96	30.64	38.71	204.85	157.23	45.18	202.41	2.44
		2007-08	61.33	54.28	45.37	4.57	48.05	213.60	165.31	88.36	253.67	(-) 40.07
		2008-09	64.71	71.07	111.23	109.83	--	356.84	172.14	74.65	246.79	110.05
2.	नगर पालिक निगम ग्वालियर	2005-06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2006-07	18.75	50.20	2.35	1.32	--	72.62	58.40	12.18	70.58	2.04
		2007-08	29.59	66.62	29.76	2.63	--	128.60	78.06	23.90	101.96	26.64
		2008-09	31.71	72.39	27.39	3.91	9.00	144.40	103.80	28.95	132.75	11.65
3.	नगर पालिक निगम रतलाम	2005-06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2006-07	6.67	7.06	8.50	--	4.26	26.49	20.84	5.46	26.30	0.19
		2007-08	7.16	10.67	9.39	3.24	3.89	34.35	23.92	5.37	29.29	5.06
		2008-09	8.06	12.67	9.39	--	3.89	34.01	27.73	7.25	34.98	(-) 0.97
4.	नगर पालिक परिषद नीमच	2005-06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2006-07	5.62	3.06	3.16	--	--	11.84	6.26	2.05	8.31	3.53
		2007-08	6.05	4.35	3.58	--	--	13.98	5.79	2.72	8.51	5.47
		2008-09	3.13	2.44	2.65	--	--	8.22	10.68	3.61	14.29	(-) 6.07
5.	नगर पालिक परिषद मंदसौर	2005-06	N.A.	N.A.	. N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		2006-07	4.10	8.76	0.35	--	3.44	16.65	8.71	0.26	8.97	7.68
		2007-08	12.03	8.23	0.70	3.49	1.63	26.08	23.21	0.37	23.58	2.50
		2008-09	6.36	10.58	0.35	--	2.87	20.16	20.63	0.27	20.90	(-) 0.74

टीप:- उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्राक्कलन पर आधारित है ।

परिशिष्ट - II
(संदर्भः कंडिका 1.9 पेज - 5)

बैंक समाधान पत्रक तैयार न किया जाना

(करोड़ ₹ में)

क्र.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	बैंक खाते अनुसार राशि	रोकड़ वही अनुसार राशि	असमायोजित राशि
1.	नगर पालिका वारा सिवनी	4/01 से 3/07	168.35	62.29	106.06
2.	नगर पालिका गाडरवारा	4/05 से 3/07	241.83	91.92	149.91
3.	नगर पालिका मंडला	4/04 से 3/08	226.37	249.68	(-) 23.31
4.	नगर पालिका गंजवासोदा	4/04 से 3/09	102.52	87.50	15.02
5.	नगर पालिका गौहद	4/02 से 3/08	86.93	59.39	27.54
6.	नगर पालिका राहतगढ़	4/02 से 3/08	46.17	48.94	(-) 2.77
7.	नगर पालिका गोतम पुरा	4/01 से 3/08	96.54	93.34	3.19
8.	नगर पालिका राजगढ़	4/04 से 3/08	32.96	46.00	(-) 13.04
9.	नगर पालिका जौरा	4/05 से 3/09	134.02	131.38	2.64
		योग		**870.44**	**265.25**

अर्थात ₹ 2.65 करोड़

परिशिष्ट - III
(संदर्भः कंडिका – 1.10 पेज -6)

कर्मचारियों से अग्रिमों की बसूली न करना

(लाख ₹ में)

क्र.	ईकाई के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	बकाया राशि की अवधि	राशि
1.	नगर पालिका वारा सिवनी	4/01 से 3/07	4/01 से	4.13
2.	नगर पालिका बधवा (खरगौन)	4/04 से 3/07	10 वर्ष	0.71
3.	नगर पालिका पाडुरना (छिंदवाड़ा)	4/03 से 3/08	95/96 से	0.45
4.	नगर पालिका गाडरवारा	4/05 से 3/09	4/03 से	6.25
5.	नगर पालिका गंजबासौदा	4/04 से 3/07	4/07	0.59
6.	नगर पंचायत मेहगाँव	4/01 से 3/07	4/02	0.335
7.	नगर पंचायत बदनावर	4/01 से 3/06	अप्राप्त	0.72
8.	नगर पंचायत मांडव	4/01 से 3/05	4/2000	0.08
9.	नगर पंचायत मुन्डी (खंडवा)	4/04 से 3/07	4/01	1.07
10.	नगर पंचायत जौरा (मुरैना)	4/05 से 3/09	7/07	0.34
11.	नगर पालिका मंडला	4/04 से 3/08	10/5	4.18
12.	नगर पालिका सनावद	4/05 से 3/07	5/94	2.37
13.	नगर पालिका महिदपुर	4/04 से 3/07	7/04	0.86
			योग	**22.08**

परिशिष्ट – IV
(संदर्भः कंडिका 1.11 पेज 6)

निधियों का व्यपर्तन

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	अवधि	राशि जिन योजनाओं के लिए जारी की गई	जिन योजनाओं निधियों का व्यपर्तन किया गया	राशि
1.	नगर पंचायत मझोली	4/01 से 3/08	मूलभूत सुविधा	समग्र स्वच्छता अभियान	3.00
2.	नगर पंचायत गंज वासोदा	4/04 से 3/09	से राज्य वित्त अयोग और मूलभूत सुविधा	विद्युत विल	16.46
3.	नगर पालिका बडवाह	4/04 से 3/07	प्राथमिक विधालय	माध्यमिक भवन	4.00
4.	नगर पंचायत वारासिवनी	4/01 से 3/07	संसद निधि	वाहरी दीवारो का निर्माण	1.52
				योग	**24.98**

परिशिष्ट –V
(संदर्भः कंडिका –1.12 पेज -6)

करों की बसूली न होना

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	बसूली न की गई राशि का योग
1.	नगर पालिका बडवाह	4/2004 से 3/2007	62.63
2.	नगर पालिका मलाजखंड	7/2006 से 3/2008	183.27
3.	नगर पालिका पनागर	4/2005 से 3/2008	3.26
4.	नगर पंचायत सोहागपुर	4/2001 से 3/2007	10.45
5.	नगर पालिका बारासिवनी	4/2001 से 3/2007	28.94
6.	नगर पालिका पार्डुना	4/2003 से 3/2008	23.41
7.	नगर पालिका गाडरवारा	4/2005 से 3/2007	91.82
8.	नगर पालिका गंजवासोदा	4/2004 से 3/2009	128.75
9.	नगर पंचायत महेश्वर	4/2001 से 3/2007	57.20
10	नगर पंचायत मझोली	4/2001 से 3/2008	6.76
11.	नगर पंचायत राहतगढ़	4/2002 से 3/2008	40.41
12.	नगर पालिका अनुपपूर	4/2007 से 3/2009	26.87
13.	नगर पंचायत गौतमपुर	4/2001 से 3/2008	10.96
14.	नगर पंचायत बदनावर	4/2001 से 3/2006	8.53
15.	नगर पंचायत मुंडी	4/2004 से 3/2007	6.94
16.	नगर पालिका मंडला	4/2004 से 3/2008	37.25
17.	नगर पालिका महीदपुर	4/2004 से 3/2007	26.20
18.	नगर पालिका सनावद	4/2005 से 3/2007	17.44
		योग	**771.09**

अर्थात ₹ 7.71 करोड़

परिशिष्ट -VI
(संदर्भः कंडिका –1.14 पेज -7)

संचित निधि का सृजन न करना

(लाख ₹ में)

क्र.	ईकाइयों के नाम	वर्ष	लंबित राशि
1.	नगर पालिका मलांजखंड	4/06 से 3/08	31.13
2.	नगर पंचायत शाहपुरा	4/01 से 3/07	14.11
3.	नगर पालिका वारासिवनी	4/01 से 3/07	6.89
4.	नगर पालिका पार्डुना	4/03 से 3/08	26.72
5.	नगर पंचायत महेश्वर	4/01 से 3/07	5.55
6.	नगर पंचायत मझौली	4/05 से 3/08	6.56
7.	नगर पंचायत राहतगढ़	4/04 से 3/08	13.06
8.	नगर पंचायत मुंडी	4/04 से 3/08	16.77
9.	नगर पालिका मंडला	4/04 से 3/07	7.04
10.	नगर पालिका महीदपुर	4/04 से 3/07	26.84
		योग	**154.67**

अर्थात ₹ 1.55 करोड़

परिशिष्ट -VII
(संदर्भः कंडिका –1.15 पेज -7)

दुकानों की किराये और प्रीमियम की बसूली न करना

(लाख ₹ में)

क्र.	ईकाई के नाम	नि.प्र. की अवधि	बकाया प्रीमियम	बकाया किराया	योग
1.	नगर पालिका मंडला	4/04 से 3/08	--	19.44	19.44
2.	नगर पालिका सनावद	4/05 से 3/07	17.63	2.12	19.75
3.	नगर पालिका वारासिवनी	4/01 से 3/07	--	1.74	1.74
4.	नगर पालिका गाडरवारा	4/05 से 3/07	--	16.72	16.72
5.	नगर पालिका मझौली	4/01 से 3/08	--	1.00	1.00
6.	नगर पालिका अनुपपूर	4/07 से 3/09	--	4.20	4.20
7.	नगर पालिका गौतमपुरा	4/01 से 3/08	--	1.63	1.63
8.	नगर पालिका वदनावर	--	--	1.45	1.45
9.	नगर पालिका राजगढ़	4/04 से 3/08	--	3.42	3.42
10	नगर पालिका पार्डुना	4/03 से 3/08	19.25	--	19.25
11.	नगर पंचायत जौरा	4/05 से 3/09	19.08	--	19.08
12.	नगर पालिका गंजवासोदा	4/04 से 3/09	3.16	--	3.16
13.	नगर पालिका महीदपुर	4/04 से 3/07	8.54	--	8.54
		योग	**67.66**	**51.72**	**119.38**
			अर्थात ₹ 00.68 करोड़,	अर्थात ₹ 00.52 करोड़,	अर्थात ₹ 1.20 करोड़

परिशिष्ट – VIII
(संदर्भः कंडिका 1.17.2 पेज - 8)

अव्ययित अनुदान

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	वर्ष	अनुदान राशि की प्राप्ति	व्यय	अव्यतित अनुदान
1.	नगर पंचायत अमर पाटन (सतना)	2005-06	10.40	04.99	05.41
		2006-07	10.40	04.99	05.41
		2007-08	10.40	00.48	09.92
2.	नगर पंचायत वीरसिंहपुर (सतना)	2005-06	8.00	07.84	00.16
		2006-07	8.00	00.26	07.74
		2007-08	8.00	Nil	08.00
3.	नगर पालिका परिषद वडनगर (उज्जैन)	2005-06	18.60	18.23	0.37
		2006-07	18.60	12.76	5.84
		2007-08	18.60	8.93	9.67
4.	नगर पंचायत धरमपुरी	2006-07	4.25	2.13	2.12
		2007-08	8.50	4.25	4.25
5.	नगर पालिका परिषद देवरी (सागर)	2005-06	14.40	07.18	07.22
		2006-07	14.40	04.00	10.40
		2007-08	14.41	05.39	09.02
6.	नगर निगम देवास	2005-06	73.68	37.85	35.83
		2006-07	73.58	47.92	25.66
		2007-08	73.61	51.16	22.45
7.	नगर पालिका परिषद झाबुआ	2005-06	18.40	5.65	12.75
		2006-07	9.20	Nil	9.20
		2007-08	18.40	5.81	12.59
8.	नगर पंचायत कोठी (सतना)	2005-06	4.88	2.34	2.54
		2006-07	4.88	1.31	3.57
		2007-08	4.88	2.33	2.55
9.	नगर पंचायत कुक्षी	2005-06	15.50	8.27	7.23
		2006-07	7.75	3.11	4.64
		2007-08	15.50	13.26	2.24
10.	नगर पालिका परिषद नागोद (सतना)	2005-06	12.40	0.01	12.39
		2006-07	12.40	0.38	12.02
		2007-08	12.40	6.31	06.09
11.	नगर पंचायत पाटन (जबलपुर)	2005-06	08.69	08.40	00.29
		2006-07	08.48	01.97	06.51
		2007-08	08.49	06.20	02.29

12.	नगर पंचायत पेटलावद (झाबुआ)	2006-07	8.00	4.00	4.00
		2007-08	8.00	4.00	4.00
13.	नगर पालिका परिषद पीथमपुर	2006-07	20.40	10.33	10.07
		2007-08	40.80	10.34	30.46
14.	नगर पंचायत रानापुर (झाबुआ)	2005-06	6.80	3.83	2.97
		2007-08	6.20	0.50	5.70
15.	नगर पालिका परिषद रहेली (सागर)	2006-07	15.51	09.28	06.23
		2007-08	15.51	07.76	07.75
16.	नगर निगम सागर	2005-06	74.24	67.83	06.41
		2006-07	74.18	18.54	55.64
		2007-08	74.18	18.72	55.46
17.	नगर निगम सतना	2005-09	288.32	250.87	37.45
18.	नगर पंचायत शाहपुरा (जबलपुर)	2005-06	07.70	03.85	03.85
		2006-07	07.70	03.85	03.85
		2007-08	07.70	03.85	03.85
19.	नगर पालिका परिषद शिहोरा (जबलपुर)	2005-06	22.72	02.44	20.28
		2006-07	22.72	13.33	09.39
		2007-08	22.72	16.18	06.54
20.	नगर पंचायत थादला (झाबुआ)	2005-06	8.00	4.00	4.00
		2006-07	4.04	2.27	1.77
		2007-08	8.09	2.03	6.06
21.	नगर पंचायत तराना (उज्जैन)	2005-06	13.80	6.98	6.82
		2006-07	6.90	Nil	6.90
		2007-08	13.80	7.45	6.35
22.	नगर पंचायत उन्हेल (उज्जैन)	2005-06	8.90	Nil	8.90
		2006-07	4.45	Nil	4.45
	योग		**134146**		**585.52**

परिशिष्ट - IX
(संदर्भः कंडिका –1.17.3 पेज - 9)

अव्ययित अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र
(2005-06 से 2008-09)

(लाख ₹ में)

क्र.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	प्राप्त राशि	वर्ष 05-09 के दौरान किये गये व्यय	अव्यतित (दिसम्बर 2009 तक)
1	2	3	4	5
1.	नगर पंचायत अमर पाटन (सतना)	20.80	00.52	20.28
2.	नगर पालिका परिषद वरनगर (उज्जैन)	37.20	13.13	24.07
3.	नगर पंचायत वीरसिंहपुर (सतना)	16.00	04.26	11.74
4.	नगर निगम देवास	163.13	30.99	132.14
5.	नगर पालिका परिषद देवरी (सागर)	28.80	Nil	28.80
6.	नगर पंचायत धरमपुरी (धार)	17.00	4.25	12.75
7.	नगर पालिका परिषद झाबुआ	36.80	Nil	36.80
8.	नगर पंचायत कोठी (सतना)	09.76	01.76	08.00
9.	नगर पंचायत कुक्षी (धार)	31.00	10.05	20.95
10.	नगर पंचायत नागौद (सतना)	24.80	Nil	24.80
11.	नगर पंचायत पाटन (जबलपुर)	17.07	Nil	17.07
12.	नगर पंचायत पेटलावद (झाबुआ)	16.00	04.00	12.00
13.	नगर पालिका परिषद पीथमपुर (धार)	81.65	21.89	59.76
14.	नगर पंचायत रानापुर (झाबुआ)	13.30	6.60	6.70
15.	नगर पालिका परिषद रहेली (सागर)	31.02	09.28	21.74
16.	नगर निगम सागर	148.41	30.71	117.70
17.	नगर निगम सतना	144.16	106.71	37.45
18.	नगर पालिका परिषद सिहोरा (जबलपुर)	45.44	12.36	33.08
19.	नगर पंचायत शाहपुर (सागर)	11.70	07.80	03.90
20.	नगर पंचायत शाहपुरा (जबलपुर)	15.40	Nil	15.40
21.	नगर पंचायत तराना (उज्जैन)	27.60	Nil	27.60
22.	नगर पंचायत थादला (झाबुआ)	16.13	Nil	16.13
23.	नगर पंचायत उन्हेल (उज्जैन)	17.80	1.96	15.84
	योग	**970.97**	**266.27**	**704.70**
		अर्थात ₹ 9.71	**₹ 2.66 और**	**₹ 7.05 करोड (73 प्रतिशत)**

परिशिष्ट - X
(संदर्भः कंडिका –1.17.4 पेज -9)

ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में प्रगति न होना

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	वर्ष 05-09 के दौरान प्राप्त अनुदान	दिसम्बर 2009 तक किये गये व्यय	अव्यतित अनुदान
1	2	3	4	5
1.	नगर पंचायत अमरपाटन (सतना)	20.80	निरंक (0.52 DPR)	20.28
2.	नगर पालिका परिषद देवरी (सागर)	28.80	--	28.80
3.	नगर पालिका परिषद (झाबुआ)	36.80	--	36.80
4.	नगर पंचायत कोठी (सतना)	9.76	निरंक (1.76 DPR)	08.00
5.	नगर पंचायत नागौद (सतना)	24.80	--	24.80
6.	नगर पंचायत पाटन (जबलपुर)	17.07	--	17.07
7.	नगर पंचायत शाहपुरा (जबलपुर)	15.40	--	15.40
8.	नगर पंचायत तराना (उज्जैन)	27.60	--	27.60
9.	नगर पंचायत थांदला (झाबुआ)	16.13	--	16.13
	योग	**197.16**	**2.28**	**194.88**
				अर्थात ₹ 1.95 करोड़

परिशिष्ट – XI

(संदर्भः कंडिका 2.1 पेज 12)

नगर निगम द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि शासकीय खाते में जमा न करना

(₹ in lakh)

क्र.	नगर निगम के नाम	लेखा परीक्षा अवधि	शासकीय उपकर की राशि सम्बन्धित वर्षों के दौरान						योग
			2001-02	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	
1.	जबलपुर	4/05 to 3/07	114.50	164.31	252.19	303.55	281.65	394.02	1510.22
2.	रतलाम	4/04 to 3/07				32.92	38.40	50.89	122.21
3.	सतना	4/04 to 3/07				1.25	2.95	41.53	45.73
		योग		**164.31**	**252.19**	**337.72**	**323.00**	**486.44**	**1678.16**

अर्थात ₹ 16.78 करोड़

परिशिष्ट – XII
(संदर्भः कंडिका 2.3 पेज 13)

कलेक्टर द्वारा निर्धारित से कम दर पर प्लाटों का आवंटन

क्र.	क्षेत्रों/ कॉलोनियों के नाम	भूमि की संख्या	कुल क्षेत्रफल प्रति वर्ग फीट	कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर (प्रति वर्ग फीट)	आवंटित दर (प्रति वर्ग फीट)	कलेक्टर द्वारा निर्धारित कुल राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	अन्तर राशि
1	2	3	4	5	6	7 (4X5)	8 (4X6)	9 (7-8)
1.	योजना संख्या 32 पूर्व इंदिरा नगर अवधि पंजीकृत आवंटन 16.8.1996 से 15.11.1999	4	6800	80	35	544000	238000	306000
		1	720	80	17.5	57600	12600	45000
		1	1600	45	35	72000	56000	16000
		2	1320	90	35	118800	46200	72600
		1	720	65	17.5	46800	12600	34200
		3	2690	60	35	161400	94150	67250
2.	योजना संख्या 32 पूर्व इंदिरा नगर (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 15.10.1999 से 3.4.2000	2	890	80	35	71200	31150	40050
		2	1950	80	17.5	156000	34125	121875
		1	1350	90	17.5	121500	23625	97875
3.	योजना संख्या 35 कस्तुरबा नगर (पंजीकृत) आवंटन अवधि 17.9.1998 से 29.9.1999	4	4400	95	42	418000	184800	233200
		3	4730	83	42	392590	198660	193930
		2	1962.6	105	42	206073	82429.2	123643.8
4.	योजना संख्या 35 कस्तुरबा नगर (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 17.9.1998 से 29.9.1999	1	1375	95	42	130625	57750	72875
		3	3288.35	105	42	345276.75	138110.7	207166.05
5.	योजना संख्या 55 देवदा देव नारायण (पंजीकृत) आवंटन अवधि 20.2.1995 से 9.2.2000	27	35650	50	40	1782500	1426000	356500
		5	3000	50	33	150000	99000	51000
		11	6600	50	35	330000	231000	99000
		1	1000	80	42	80000	42000	38000
		1	600	70	35	42000	21000	21000

		1	600	80	35	48000	21000	27000
6.	योजना संख्या 55 देवदा देव नारायण (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 18.3.1999 से 21.3.2000	2	1200	70	35	84000	42000	42000
		1	1000	80	45	80000	45000	35000
7.	योजना संख्या 64 डोगरा नगर (पंजीकृत) आवंटन अवधि 3.2.1995 से 9.4.1999	2	5600	60	40	336000	224000	112000
		2	5600	50	40	280000	224000	56000
		14	24211.49	60	38	1452689.4	920036.62	532652.78
		10	15160	70	38	1061200	576080	485120
		29	38940.34	50	38	1947017	1479732.92	467284.08
		25	26896.24	40	38	1075849.6	1022057.12	53792.48
		2	3000	60	33	180000	99000	81000
		16	23369.9	50	33	1168495	771206.7	397288.3
		3	3000	40	33	120000	99000	21000
		5	5880.15	80	38	470412	223445.7	246966.3
8.	योजना संख्या 64 डोगरा नगर वाणिज्यिक (पंजीकृत) आवंटन अवधि 4.1.1996 से 4.11.1999	5	9539.41	80	40	763152.8	381576.4	381576.4
9.	योजना संख्या 64 डोगरा नगर वाणिज्यिक (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 11.1.1996 से 13.7.1999	5	29171.04	80	40	2333683.2	1166841.6	1166841.6
10.	योजना संख्या 12-13 कल्यानी कॉलोनी (पंजीकृत) आवंटन अवधि 17.4.1995 से 13.5.1998	8	9375	170	65	1593750	609375	984375
		3	2925	170	51.25	497250	149906.25	347343.75
11.	योजना संख्या 12-13 कल्यानी कॉलोनी (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 17.8.1999	1	720	180	65	129600	46800	82800
12.	अंजता टॉकीज रोड़ (अपंजीकृत) आवंटन अवधि 10.4.1999 से 20.5.1999	2	562.7	235	175	132234.5	98472.5	33762
13.	अमृत सागर (पंजीकृत) आवंटन अवधि 23.7.1997	1	2100	60	32	126000	67200	58800
	योग	**212**	**289497.22**	**3218**	**1592.25**	**19105698.25**	**11295930.70**	**7809767.54**

(अर्थात ₹ 78.10 लाख)

परिशिष्ट – XIII
(संदर्भः कंडिकाः –1.11 पेज -21)

बंद और गैर परिचालन वाली योजनाओं की अव्ययित शेष अग्रिम वापस न करना

(लाख ₹ में)

क्र.	योजनाओं के नाम	पंचायती राज संस्थान के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	अव्यतीत शेष अग्रिम
1.	10 वां वित्त अयोग	जिला पंचायत रतलाम	अध्याय 1 के दल द्वारा जाँच की गई	1147201.64
		जिला पंचायत नीमच	--do--	6824.00
		जिला पंचायत हर्रई	4/2005 से 3/2008	507649.00
		जनपद पंचायत वारासिवनी (बालाघाट)	7/2005 से 3/2008	166307.00
			योग	**1827981.64**
2.	11 वां वित्त अयोग	जिला पंचायत रतलाम	अध्याय 1 के दल द्वारा जाँच की गई	218244.00
		जिला पंचायत नीमच		218244.00
		जिला पंचायत ग्वालियर		288684.00
		जनपद पंचायत हर्रई	4/2005 से 3/2008	480201.00
		जनपद पंचायत चौरई	7/2004 से 3/2006	348692.00
		जनपद पंचायत परसवाडा (वालाघाट)	6/2001 से 3/2008	563469.00
		जनपद पंचायत वारासिवनी (बालाघाट)	7/2005 से 3/2008	1000329.00
		जिला पंचायत डिंडौरी	4/2004 से 3/2007	3363000.00
			योग	**6480863**
3.	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना	जनपद पंचायत हर्रई	4/2005 से 3/2008	877415
	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जिला स्तर	जनपद पंचायत चौरई	7/2004 से 3/2006	430073
	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जनपद स्तर	जनपद पंचायत चौरई	7/2004 से 3/2006	675462.25
	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जिला स्तर	जनपद पंचायत परसवाड़ा	6/2001 से 3/2008	369613.00
	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जनपद स्तर	जनपद पंचायत परसवाड़ा	6/2001 से 3/2008	482013.00
	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्तर	जनपद पंचायत परसवाड़ा	6/2001 से 3/2008	558239.00
			योग	**3392815.25**
			सकल योग	**11708483.89**

₹ 1.17 करोड़

परिशिष्ट - XIV
(संदर्भः कंडिकाः 1.12 पेज -22)

कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास बकाया अग्रिम

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	राशि
1.	जनपद पंचायत सतना	4/04 से 3/08	3.20
2.	जनपद पंचायत रायपुर कलचुलियान (रीवा)	4/05 से 3/07	5.95
3.	जनपद पंचायत बहोरीवंद (कटनी)	5/05 से 3/07	2.42
4.	जनपद पंचायत बारी (बरेली)	5/02 से 3/06	0.30
5.	जनपद पंचायत बड़ा मलहेरा (छतरपुर)	4/04 से 3/07	2.37
		योग	**14.24**

परिशिष्ट - XV
(संदर्भः कंडिकाः –1.13 पेज -22)

(बैंक समाधान पत्रक तैयार न करना)

(करोड़ ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	लेखापरीक्षा अवधि	रोकड़ वही के अनुसार राशि	बैंक खाता के अनुसार राशि	निवल शेष राशि जो असमायोजित है
1.	जनपद पंचायत धरमपुरी (धार)	6/05 से 3/07	15990676	17190141	1199465
2.	--तदैव-- परसवाड़ा (वालाघाट)	6/01 से 3/08	8201585	8308232.24	106647.24
3.	--तदैव-- चौरई (छिंदवाडा)	7/04 से 3/07	17765285.47	21048726.35	3283440.88
4.	--तदैव-- सनावर (इंदौर)	2/06 से 3/07	9953612	11973646	2020033
5.	--तदैव-- घटीया (उज्जैन)	3/02 से 3/06	1921966	3088845.76	1166879.76
6.	--तदैव-- जुन्नारदेव (छिंदवाडा)	12/04 से 3/08	30609290	40736745	10127455
7.	--तदैव-- खरगौन	5/05 से 3/07	28172065	31710486	3538421
8.	--तदैव-- पनागर (जबलपुर)	4/04 से 3/07	4742485	6126408	1383923
9.	--तदैव-- हटा (दमोह)	4/04 से 3/07	2671956	6684731	4012775
10.	--तदैव-- झाबुआ	6/04 से 3/07	26450874	26631609.45	180785.45
11.	--तदैव-- इंदौर	12/05 से 3/07	28103857	31483043.12	3379186.12
12.	--तदैव-- बलवेदगढ़ (टीकमगढ़)	4/04 से 3/07	11173710	12983383	18.10
13.	--तदैव-- बीरसा (बालाघाट)	4/03 से 3/08	8527788	23511598	14983810.00
14.	--तदैव-- बारादिया (शाजापुर)	4/02 से 3/06	9135371	13255278.35	41.20
15.	--तदैव-- वड़ामलहेरा (छतरपुर)	4/04 से 3/07	5450605.65	6183630.84	733025.19
16.	--तदैव-- जौरा (मुरैना)	5/04 से 3/07	2008517	2487250	4.79
17.	--तदैव-- तराना (उज्जैन)	4/04 से 3/06	13024801.19	13808047.92	783246.73
18.	--तदैव-- पीछोर (शिवपुरी)	4/05 से 3/07	2886919	31512442	26.43
19.	--तदैव-- खाचरोद (उज्जैन)	3/04 से 3/08	8938661.26	10443906.11	1505244.85
20.	--तदैव-- देवरी (सागर)	9/04 से 3/07	1648848	2281964	633116
21.	--तदैव-- लहार (भिण्ड)	7/04 से 3/07	11510802.76	11733080	222277.57
22.	--तदैव-- जेसीनगर (शहडोल)	10/04 से 3/07	36981293	40171671	3190378
			285870968.30	**373354865.10**	**52450200.31**

₹ 5.25 करोड़

परिशिष्ट - XVI
(संदर्भः कंडिकाः –1.16.1 पेज -25)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अपूर्ण कार्य

(लाख ₹ में)

क्र.	इकाईयों के नाम	ले.प. अवधि	कार्यों की संख्या	राशि
1.	जनपद पंचायत परसवाड़ा (बालाघाट)	6/01 से 3/08	294	250.49
2.	जनपद पंचायत चौरई (छिंदवाडा)	7/04 से 3/06	04	10.30
3.	जनपद पंचायत खालवा (खंडवा)	1/03 से 3/05	08	6.20
4.	जनपद पंचायत हर्रई (छिंदवाडा)	4/05 से 3/08	32	12.90
5.	जनपद पंचायत विरसा (बालाघाट)	4/03 से 3/08	188	312.67
6.	जनपद पंचायत विरसा (बालाघाट)	4/03 से 3/08	30	37.13
7.	जनपद पंचायत रायपुर खरचुलियान (रीवा)	4/05 से 3/07	59	58.78
8.	जनपद पंचायत वारी (बरेली)	5/02 से 3/06	14	14.01
9.	जनपद पंचायत पिछोर (शिपपुरी)	4/05 से 3/07	79	72.96
10	जनपद पंचायत खाचरोद (उज्जैन)	3/04 से 3/08	23	12.30
11.	जनपद पंचायत सागर	4/04 से 3/08	19	3.69
		योग	**750**	**791.43**

परिशिष्ट - XVII
(संदर्भः कंडिकाः –1.16.2 पेज -25)

इंदिरा आवास योजना के तहत पुरूषों हितग्राहियों को अनियमित आवंटन

(लाख ₹ में)

क्र.	ईकायों के नाम	ले.प. अवधि	पुरूष हितग्राही को आवंटित आवासों की संख्या	मूल्यांकित राशि
1.	जनपद पंचायत परसवाड़ा (बालाघाट)	6/01 से 3/08	620	112
2.	जनपद पंचायत उचहेरा (सतना)	4/04 से 3/08	220	35.52
3.	जनपद पंचायत वलदेव गढ़ (टीकमगढ़)	4/04 से 3/07	302	61.00
4.	जनपद पंचायत रामपुर नेकिन (सीधी)	4/02 से 3/07	795	136.70
5.	जनपद पंचायत आष्टा (शिहोरा)	4/01 से 3/08	1102	227.35
6.	जनपद पंचायत रायपुर खरचुलियान (रीवा)	4/05 से 3/07	146	26.95
7.	जनपद पंचायत बरोदिया (शाजापुर)	4/02 से 3/06	303	49.70
8.	जनपद पंचायत बारी (बरेली)	5/02 से 3/06	242	42.00
9.	जनपद पंचायत बडामलेहरा (छतरपुर)	4/04 से 3/07	167	31.30
10	जनपद पंचायत तराना (उज्जैन)	4/04 से 3/06	336	85.45
11.	जनपद पंचायत पिछोर (शिवपुरी)	4/05 से 3/07	153	32.40
12.	जनपद पंचायत खाचरोद (उज्जैन)	3/04 से 3/08	363	122.50
13.	जनपद पंचायत देवरी (सागर)	9/04 से 3/07	80	12.10
14.	जनपद पंचायत बरघाट (सिवनी)	4/03 से 3/07	420	74.90
		योग	**5249**	**1049.87**